म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त शोध संस्थान)

6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (म.प्र.)

फोन : 0734-2510978, ई-मेल : mpissr@yahoo.co.in, वेब : www.mpisr.org

राष्ट्रीय सेमिनार

भारतीय संघवाद का बदलता हुआ समकालीन सन्दर्भ : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

दिनांक 10-11 नवम्बर 2022

भारतीय संविधान ने देश में ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की है जिसका स्वरूप संघीय है; जिसमें सरकार के दो स्तर हैं - राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। इसके साथ ही भारतीय संविधान में संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में 'केन्द्रीकृत संघवाद' की स्थिति दिखाई देती है। भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों के आवण्टन की विस्तृत योजना दी गयी है। तथापि इसमें एकात्मक ढाँचे का आधार भी विद्यमान है। संविधान के अधिदेश से स्थापित वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बँटवारे की सिफारिश करता है जिसमें केन्द्र परम्परागत रूप से राजस्व पूल में से ज्यादातर राशि अपने पास रखता है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का दायरा समय के साथ-साथ नयी परिस्थितियों के उत्पन्न होने से बदल गया है; जैसे वस्तु और सेवा कर की शुरूआत के बाद सम्बन्धों में स्पष्ट बदलाव आये हैं। यह बदलाव केन्द्र द्वारा कभी-कभार राजनीतिक रूप से सत्ता के उपयोग की वजह से भी होते हैं। वैसे आमतौर पर इन बदलावों की आवश्यकता को लेकर मोटे तौर पर सहमति भी रहती है। कुछ समय पूर्व जब संघीय संरचना की बात की जाती थी तो आमतौर पर उसका एक-आयामी चित्र उभरता था, जिसमें सभी राज्यों के शीर्ष पर केन्द्र होता था। शायद ही कभी इसे राज्यों के बीच तालमेल के रूप में या एक साथ विकसित होने और आगे बढ़ने की समान रणनीति के तौर पर देखा गया। हालांकि यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर आधारित संघीय संरचना का नवयुगीन दृष्टिकोण है, जिसे नीति आयोग के गठन के साथ परिभाषित और पुनर्मूल्यांकित किया गया है। अनिवार्य रूप से संघवाद दो सरकारों - पहली, क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरी, राष्ट्रीय स्तर पर - को समायोजित करने के लिए संस्थागत तन्त्र है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है। भारतीय संविधान एक मजबूत केन्द्र के साथ संघीय संरचना का प्रावधान प्रदान करता है। यह 'फेडरेशन' यानी संघ शब्द का प्रयोग नहीं करता है और भारत को 'राज्यों का संघ' के रूप में वर्णित करता है जिसका अर्थ है - कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ सहकारी स्वरूप। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ केन्द्र और राज्य के दायित्व और कार्यों का सीमांकन करती हैं।

कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत में की गयी कार्यवाही से देश के संघीय ढाँचे का सन्तुलन बदलकर रह गया है। महामारी ने परम्परागत रूप से राज्यों के दायरे में समझे जाने वाले कई क्षेत्रों में केन्द्र सरकार को दूरगामी सुधार लागू करने का अधिकार दे दिया है। वर्तमान दौर में संघवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भारत में कोविड-19 संकट के प्रबन्धन के लिए जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका का उजागर होना है। प्रारम्भिक चुनौतियों के बाद संघ सरकार ने राज्यों को महामारी के प्रकोप से निपटने और सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू करने, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर के लॉक-डाउन का प्रबन्धन करने के लिए पर्याप्त सम्भावना छोड़ी और स्वायत्तता भी दी। चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, राज्यों ने अधिकांश मामलों में सरकार के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखे बिना अपने क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले मुख्य एजेंट और प्रशासन करने वाले के रूप में कार्य किया और केन्द्र की भूमिका समन्वयकारी रही।

संघवाद को संसाधनों के विकेन्द्रीकरण के साथ लगातार केन्द्र और राज्यों के बीच एक कठिन सन्तुलन बनाये रखना होता है, साथ ही इसका उद्देश्य कमजोर कड़ी पर ध्यान देते हुए सभी को मजबूती प्रदान करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता रैंकिंग आदि के रूप में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना है। इसके पीछे का उद्देश्य एक साझी संस्कृति और मूल्यों तथा आपसी विश्वास जैसे नैतिक गुणों की श्रेणी विकसित करना और लोगों एवं नीतियों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त संघवाद का एक अन्य निहितार्थ राष्ट्र की एकता के साथ-साथ इसकी विविधता को स्वीकारना है, साथ ही सीमाओं का सम्मान करने के साथ-साथ सीमाओं से परे जाना भी है।

वर्तमान महामारी ने हमें इस सम्बन्ध में कई सबक सिखाये हैं। सभी सीमाओं और संसाधनों की परिणति वायरस के साथ सामूहिक संघर्ष में हुई है। केन्द्र और राज्यों के बीच जितना निर्बाध सामंजस्य होगा, जितनी रचनात्मक सहमति से वे दोनों एक-दूसरे के सहयोगी और प्रतिपूरक होंगे उतना ही वे साथ-साथ इस संकट से गुजरते हुए उसका मजबूती से सामना करने में सक्षम होंगे। यद्यपि केन्द्र की भूमिका अधिक जिम्मेदारी वाली और जटिल है। सामान्यतः राज्य सरकारों को ऐसा लग सकता है कि केन्द्र उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है जबकि केन्द्र को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होता है ताकि राज्यों के पृथक रवैये के बावजूद अधिकतर या सभी नागरिकों को लाभ पहुँचाया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों के लिए जरूरी है कि वे अपनी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद द्वारा बनाये कानूनों और उस राज्य पर लागू होने वाले मौजूदा कानूनों पर अमल करना सुनिश्चित करें, अगर राज्य सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो संघ अपनी कार्यपालक शक्ति का उपयोग कर राज्यों को निर्देश दे सकता है।

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश को संघवाद के छह स्तम्भों - राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण - के बीच उचित सन्तुलन बनाना आवश्यक है। धुर राजनीतिक केन्द्रीकरण या अव्यवस्थित राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, दोनों ही भारतीय संघवाद को कमजोर कर सकते हैं। इनके बीच उचित सन्तुलन कायम करने से केन्द्र सरकार को राज्यों की स्वायत्तता पर एक सीमा से अधिक दबाव डालने से रोकने के साथ-साथ राज्यों को ऐसी दिशा में भटकने से भी रोका जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो। इन पर नियन्त्रण करना एक चुनौती है, क्योंकि संघवाद को एक ओर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पूरी करना है तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखना है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित नयी चुनौतियों का मूल्यांकन एवं समीक्षा नितान्त प्रासंगिक एवं अनिवार्य है, जो यह स्पष्ट कर सके कि भारतीय संघवाद में केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय किस प्रकार का हो।

विषय की महत्ता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा **'भारतीय संघवाद का बदलता हुआ समकालीन सन्दर्भ : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'** विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित समकालीन चुनौतियों, अवसरों एवं सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करने हेतु सूक्ष्म स्तर से लेकर व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे अध्येताओं को साथ लाकर भारत में संघवाद एवं उसकी सफलता को विस्तार से समझने हेतु एक मंच प्रदान करना है; साथ ही सेमिनार के माध्यम से भारतीय शासन एवं राजनीति के क्षेत्र में नीति निर्माताओं हेतु रचनात्मक सुझाव, क्षेत्र में नवाचारों का पता लगाना एवं भविष्य के दिशा निर्देश तय करना है।

सेमिनार के उप-विषय

- सहकारी संघवाद की संकल्पना के आयाम
- भारत में एक नये वित्तीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ
- केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में मध्यस्थता के बिन्दु
- टीम इंडिया एवं नीति आयोग का नया सन्दर्भ
- प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का अनुभव
- भारत के राष्ट्रीय चुनावों की क्षेत्रीय जड़ें और केन्द्रीयकरण
- संघवाद और सामाजिक नीति के क्रियान्वयन के फलक
- उभरते हुए राष्ट्रीय संघवाद का वर्तमान सन्दर्भ
- केन्द्र-राज्य समन्वय, सहकार और टकराव के बिन्दु
- गणतन्त्र के संरक्षक के रूप में भारतीय संघवाद का केन्द्रीयकरण की ओर झुकाव

सेमिनार के तकनीकी सत्र प्रस्तावित उपशीर्षकों पर केन्द्रित होंगे। संघवाद के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्य कर रहे विद्वान एवं अध्येता सेमिनार में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित हैं। सेमिनार में अध्येताओं के व्यापक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए चयनित शोध-पत्रों को प्रस्तुति हेतु आमन्त्रित किया जाएगा। इस हेतु यात्रा व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा तथा आवास एवं अन्य व्यवस्थाएँ भी संस्थान द्वारा की जाएँगी।

सम्पूर्ण आलेख (3500-5000 शब्दों में) संक्षेपिका सहित भेजने की अन्तिम तिथि - 21 अक्टूबर, 2022

(आलेख एवं संक्षेपिका निर्धारित तिथि के पूर्व ई-मेल mailboxmpissr@gmail.com पर प्रेषित करें)

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
सेमिनार संयोजक
निदेशक
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार मिश्र
सेमिनार समन्वयक
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
डी.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलावठी, बुलन्दशहर (उ.प्र.)
सम्पर्क : 70884-26431

डॉ. उदयसिंह राजपूत
सेमिनार समन्वयक
सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)
सम्पर्क : 96300-60096